ग्राम पंचायत टान्डू, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत टान्डू, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती प्रोमिला देवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती हेम लता	23.1.2016 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री संजीव कुमार	1.4.14 से 17.3.16
2	श्रीमती कुसम लता	18.3.16 से 26.8.16
3	श्री जीवन लाल	27.8.16 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताऐंः– ग्राम पंचायत टान्डू, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण के दौरान पाई जाने वाली गम्भीर अनियमितताऐं निम्न हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों तथा बैंक के अन्तशेष में अन्तर	0.13
2	4.3	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–

3	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	0.78
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	28.19
5	7	बिना प्राक्कलन तैयार किए निर्माण कार्य करवाना	6.27
6	8	बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किए क्रय	1.96
7	9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.91

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत टान्डू, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री सन्तोष कुमार क0ले0प0 द्वारा दिनांक 22.11.17 से 25.11.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	03/15	02/15
2015–16	03/16	07/15
2016–17	03/17	02/17

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत टान्डू, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 25.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत टान्डू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत टान्डू द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	732594.05	69593	802187.05	27508	774679.05
2015–16	774679.05	92130	866809.05	11396	855413.05
2016–17	855413.05	119778	975191.05	54082	921109.05

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत टान्डू द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	369577.95	4936609	5306186.95	4008323	1297863.95
2015–16	1297863.95	2348344	3646207.95	2182938	1463269.95
2016–17	1463269.95	4520739	5984008.95	3164588	2819420.95

4.1 रोकड़ बही तथा बही खातों के दिनांक 31.3.2017 के अन्तशेष में ₹0.13 लाख का अन्तरः–

स्वः स्त्रोत

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों में अन्तशेष	921109.05
अनुदानः–	
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों में अन्तशेष	2819420.95
कुल योग	**₹3740530.00**
दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों का शेष (संलग्न **परिशिष्ट–II**)	3727125.00
हस्तगत राशि	शून्य
अन्तर	₹13405.00

समय पर रोकड़ बहियो ंका बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों और बैंक खातों के शेष में ₹13405 का अन्तर पाया गया, जिसका मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001 दिनांक 24.11.17 द्वारा सचिव को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया। अतः मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 मनरेगा रोकड़ बही का अनुरक्षण न करनाः—

ग्राम पंचायत टान्डू के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही नियमानुसार नहीं रखी गई थी, खण्ड विकास कार्यालय द्वारा आय/अनुदान तथा व्यय से सम्बन्धित सूचनाएं संकलित करके रखी गई है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अतिशीघ्र नियमानुसार रोकड़ बही का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

4.3 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः—

ग्राम पंचायत टान्डू की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकंड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करने की स्थिति स्पष्ट करें तथा नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.78 लाख वसूली हेतु शेषः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट III व IV** में संलग्न विवरण के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹78090 की वसूली शेष थी।

(i) गृहकरः—

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014—15	शून्य	801x30=24030	24030	—	24030
2015—16	24030	801x30=24030	48060	—	48060
2016—17	48060	801x30=24030	72090	—	72090

(2) टावर फीसः—

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014—15	शून्य	4000	4000	2000	2000
2015—16	2000	4000	6000	2000	4000
2016—17	4000	4000	8000	2000	6000

(3) भू राजस्व की वसूली न करनाः— अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में भू राजस्व की वसूली नहीं की गई थी।

अतः नियमानुसार पंचायत को सभी स्त्रोतों से होने वाली प्राप्ति/आय की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ इसकी प्रतिवर्ष वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹28.19 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–I** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹2819420 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये बिना ही व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–V** में दिये गये विवरणानुसार ₹627000 के निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार बही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे, जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि को पंचायत निधि में जमा करवाया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.96 लाख का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की अपैचारिकताऐं (निविदाऐं इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि

G.P. Tandu

परिशिष्ट–VI में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹195775 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 ₹1.91 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डा रजिस्टर में प्रविष्टि करने, जारी करने तथा भण्डारण सम्बन्धित औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–VII** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹190935 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

G.P. Tandu

(1) खाता बहियाँ
(2) अनुदान रजिस्टर
(3) यात्रा भत्ता बिल जाँच पड़ताल रजिस्टर
(4) गृहकर रजिस्टर
(5) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर
(6) रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
(7) स्टेशनरी रजिस्टर

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी—2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्षः—** लेखों के अनुरक्षण में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 47 / 2018—खण्ड—1—2533—2536 दिनाँक 10.04.2018 शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत टान्डु, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881